



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in

स. P-11018/1/2021-यो व वि

दिनांक: 22.05.2023

परिपत्र
CIRCULAR

विषय : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नियंत्रणाधीन नगर निगम/नगरपालिका निकायों के अंतर्गत आकस्मिक एवं संविदा कर्मिकों के लिए क. रा. बी. योजना का विस्तार।
Extension of ESIC Scheme to the Casual/Contractual workers under Municipal Corporation/Municipal Bodies under the control of State Government/UT Administration.

उपरोक्त विषय पर राज्य सरकार/केन्द्रीय शासित प्रदेश के अधीन नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में कार्यरत आकस्मिक एवं संविदागत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार हेतु क. रा. बी. अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के तहत निम्नलिखित उपयुक्त सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कि जा चुकी है।

The following State Governments/Union Territory Administrations have issued the final notification under Section 1(5) of the ESI Act, 1948, for the extension of coverage to the Casual and Contractual workers engaged under Municipal Corporations and Municipal Councils in the respective States/Union Territories under Employees' State Insurance Act, 1948.

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश State/UTs	Date of Draft Notification	Date of Final Notification
1.	गुजरात/Gujarat	29.06.2022	21.02.2023
2.	आंध्र प्रदेश/Andhra Pradesh	28.11.2022	19.04.2023
3.	झारखंड/Jharkhand*	21.06.2019	04.02.2021

*Post-facto approval of Central Government vide letter No.S-38025/02/2021-SS-1 dated 03.10.2022.

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(अखिलेश कुमार)
सहायक निदेशक (योववि)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय निदेशक-गुजरात, आंध्रप्रदेश व झारखंड को सूचनार्थ हेतु।
2. उप निदेशक (जन संपर्क शाखा) को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।